2/2014 मोईदीन व. फकीर मोहम्मद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 18 व 19 फोरमल पक्षकार है। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण मय पक्षकार उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली मुकर्रर तारीख 20/7/2021 से आज तलब करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिससे पत्रावली नियत तिथी से तलब होकर आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण मे किये गये राजीनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम -1 सी.पी.सी. प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 18 के विरुद्द 53 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत वाद विड्रो हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम -1 सी.पी.सी. पर अधिवक्ता मय उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वकुलाय पक्षकारान का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो जाने से वादीगण धारा 53 आर.टी. एक्ट का वाद नही चलाना चाहते है। एव धारा 53 आर.टी. एक्ट के तहत वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के संख्या 2 से 18 के विरुद्द विड्रो हेतु इस्तदुआ की गई। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत वादीगण मोईदीन मिश्रुखा, हकीमखां हाजी मोहम्मद, सुलतानखा, एव प्रतिवादी संख्या 1 फकीर मोहम्मद के मध्य निम्न स्वरूपेण राजीनामा हो गया है। राजीनामा के तथ्य इस प्रकार है। 1 - अनवान के वाद मे प्रतिवादीगण संख्या 2 से लगायत 18 कुल आराजियात के 1/2 हिस्से के सह खातेदार होने से बटवाडा के वाद हेतु फोरमल पक्षकार बनाये गये थे। मुख्य रूप से यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी स.01 के विरुद्द ही प्रस्तुत किया गया है। एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य राजीनामा होजाने से वादीगण द्वारा धारा 53 आर.टी. एक्ट का वाद विड्रो किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 18 के विरुद्द कोई खातेदारी की घोषणा नही चाही गई है। 2- वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 के मध्य इस प्रकार राजीनामा हुआ है। कि वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद ग्राम नारलाई तहसील देसूरी स्थित वर्तमान खसरा नम्बर - 1113 रकबा ... किस्म जाव खेलेयम ख० न० 1173 रकबा ... 0.0100 है० अव्वल चाही प्रथम ख० नं. 1174 रकबा 0.0600 है० किस्म गै०मु० बेरा, ख० नं. 1175 रकबा 0.0800 है० किस्म गै०मु० खडा ख० न० 1176 रकबा ... किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, ख०न. 1177 रकबा 1.1700 है० किस्म जाव अव्वल चाही प्रथम - सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:16:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

ख० नं. 1178 रकबा 0.1700 है. किस्म चाही प्रथम ख० नं. 1180 रकबा 2.0000 है. किस्म जाव अव्वल चाही प्रथम ख० नं० 1181 रकबा 2.5800 है० किस्म जाव अव्वल चाही प्रथम ख० नं० 1183 रकबा 1.7100 है० किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल ख० नं. 1184 रकबा 1.9200 है. किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कुल खसरा 11 कुल क्षेत्रफल 12.8600 है० लगान रुपया 296.95 मे वादी संख्या 1 मोईदीन पुत्र हजेखांजी की खातेदारी का 1/8 हिस्सा, वादीगण संख्या 2 से 4 मिश्रुखां, हकीमखां, हाजीमोहम्मद पि. वजीरखांजी की खातेदारी का 1/8 हिस्सा वादी संख्या 5 सुलतानखां पुत्र नेनेखांजी की खातेदारी का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 फकीर मोहम्मद पुत्र अजुखांजी की खातेदारी का 1/8 हिस्सा = 1/2 हिस्सा रहेगा। शेष 1/2 हिस्सा बदस्तूर रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना-अपना वहन करेगे।

राजीनामा तस्दीक कर उपरोक्त अनुरूप खातेदारी घोषणा की डिक्री जरिये राजीनामा सादिर फरमावे। एवं माफिक डिक्री राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार देसूरी को करवावे।

बमुलाय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पर पक्षकार वादीगण एवं पक्षकार प्रतिवादी द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये गये। जिन्हे वकील वादीगण एव वकील प्रतिवादी द्वारा पक्षकारान की पहचान की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

अत: उपरोक्तानुसार प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक धारा 53 आर.टी. एक्ट का वाद डिक्री किया जाता है। एवं ग्राम नारलाई के ख० न० 1113, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 1183, 1184, कुल खसरा 11 कुल रकबा 12.8600 है० लगान रुपया 296.95 मे वादी संख्या 1 मोईदीन पुत्र हजेखांजी की खातेदारी का 1/8 हिस्सा [illegible] मिश्रुखां, हकीम खां, [illegible] वजीरखांजी की खातेदारी [illegible] 5 सुलतान खां [illegible] की खातेदारी का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवा[illegible] सं. 1 फकीरमोहम्मद पुत्र अजुखांजी की खातेदारी का 1/8 हिस्सा = 1/2 हिस्सा की उपरोक्तानुसार पक्षकारान के हिस्से मुताबिक खातेदारी घोषणा की डिक्री

सहायक कलेक्टर
(ए[illegible]..ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:16:38 IST
Reason: SelfAttested

2/2014 मोईदीन vs फकीर मोहम्माद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
जरिये राजीनामा सादिर की जाती है। तहसीलदार देसूरी तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा सादिर हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहरीर के साथ निर्णय की प्रति भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 14/7/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) ([illegible]) (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:16:38 IST
Reason: SelfAttested